16/4/18

[illegible] নামে ৫৭০। আজী কাগজ [illegible] [illegible]
যাবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাবে
আসামীকে [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible]
অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] আদেশ হলো।

[illegible]

(1)

पत्रा सिविल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पदासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर0ए0एस0

प्र.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
133/17	01.09.2017	16.04.2018

अनुदान

1. मोहनलाल पुत्र मूला जाति अहीरान निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम(अलवर) राज0
3. जगराम पुत्र मूला जाति अहीर निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम
4. शांति
5. सरवन पुत्रीगान मूला
6. हंसराज
7. शिवराज पुत्रान रोहताश
8. उषा पुत्री रोहताश
9. गुड्डी पत्नि छोटेलाल
10. वीरेन्द्र
11. टेकचन्द
12. विजेन्द्र पुत्रान छोटेलाल
13. सरोज
14. संजू
15. मीकू पुत्रीगान छोटेलाल
16. नरपाल पुत्र प्रहलाद
17. गिन्दोडी पत्नि प्रहलाद जाति अहीरान निवासीगान जौडिया तहसील कोटकासिम
18. महावीर
19. किरोडी
20. देवेन्द्र
21. गोपीचन्द पुत्रान शीशराम
22. मूर्ति
23. शारदा
24. राज पुत्रीगान शीशराम जाति अहीर निवासी फदनी तहसील व जिला रेवाड़ी हरि0.
25. राजेन्द्र
26. अमरपाल पुत्रान बोदनराम
27. गीता
28. मन्जू पुत्रीगान बोदनराम जाति अहीरान निवासी राजधोकी तहसील तिजारा जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

29\. सिंडीकेट बैंक शाखा टपूकड़ा जरिये शाखा प्रबंधक टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर

—प्रतिवादीगण

30\. रमन सिंह पुत्र कालिया उर्फ शीशराम
31\. बिमलादेवी
32\. संतोष
33\. रामरती
34\. रिसाल
35\. सांवत पुत्रीयांन कालिया उर्फ शीशराम
36\. मनोज पुत्र चन्द्रभान
37\. सुमन पुत्री चन्द्रभान जाति अहीर निवासी राजधोकी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

—फोरमल पक्षकार

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय
बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा
88,89,व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है की विवादित आराजी हाल ख0न0 301/1.16 बीघा वाके ग्राम तुर्कवास तहसील कोटकासिम की जमाबन्दी सम्वत 2071—74 मे दर्ज प्रविष्टी को हजफ कर उसके स्थान पर वादी को 7/27 भाग प्रतिवादी संख्या 03 को 13/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 2/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को 13/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत—15 को 13/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को 13/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 को 13/108 भाग, प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 28 को 13/108 भाग व फोरमल पक्षकार संख्या 30 लगायत 37 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
~~कोटकासिम~~ राज0
कोटकासिम (अलवर)

संशोधन

27/5/18 वादी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.4.18 में प्रतिवादी सं. 3 को 13/108 भाग, 6 लगा. 9 को 13/108 भाग, 10 लगा. 15 को 13/108 भाग, 16 व 17 को 13/108 भाग, 18 लगा. 24 को 13/108 भाग, 25 लगा. 28 को 13/108 भाग का आदेश जारी किया गया था। उसके स्थान पर सभी 13/108 भाग के स्थान पर 10/108 भाग पढ़ा जावे।

संशोधित

10.5.18 वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनुसूची सं. 14 पर संख्या गलत है। उसके स्थान पर संख्या सही संशोधित किया जाये तथा अनुसूची सं. 15 पर नक्शा गलत है उसके स्थान पर नक्शा उक्त निर्देशानुसार किया जाये। [illegible] संशोधन किया जाता है।

[illegible]

[1]

ન્યાયાલય ઉપખંડ અધિકારી કોટકાસિમ જિલા અલવર (રાજ.)
પીઠાસીન અધિકારી - શ્રી શિવપાલ સિંહ [illegible] R.A.S.

મુ.ન.	દાયર દિનાંક	નિર્ણય દિનાંક
133/17	1-9-2017	16/04/2018

ઉનવાન

[1] મોહનલાલ પુત્ર મુન્ના જાતિ અહીર નિવાસી ગ્રામ ઝાંઝડિયા તહસીલ કોટકાસિમ જિલા અલવર (રાજ.)

—વાદી

બનામ

[1] રાજસ્થાન સરકાર જરિયે ભૂમિ અવાપ્તિ અધિકારી ([illegible]) તહસીલદાર સાહબ કોટકાસિમ જિલા અલવર (રાજ.)
[2] શ્રીમાન ઉપ પંજીયક મહોદય કોટકાસિમ જિલા અલવર (રાજ.)
[3] જગદીશ પુત્ર મુન્ના
[4] શાન્તિ
[5] સરવન પુત્રીયાન મુન્ના
[6] હંસકલા
[7] સિંહરાજ પુત્રાન રોહતાશ
[8] ઊષા પુત્રી રોહતાશ
[9] ગુડ્ડી પત્ની હોશિયારામ
[10] વીરેન્દ્ર
[11] દેવચન્દ
[12] વિજેન્દ્ર પુત્રાન હોશિયારામ
[13] સરોજ
[14] સન્જુ
[15] મીનુ પુત્રીયાન હોશિયારામ
[16] નરપાલ પુત્ર પ્રતાપ
[17] ભિલ્લોડી પત્ની પ્રતાપ જાતિ અહીરાન નિવાસીયાન ઝાંઝડિયા તહસીલ કોટકાસિમ જિલા અલવર (રાજ.)
[18] મહાવીર
[19] ભિલોડી
[20] દેવેન્દ્ર
[21] જ્યોતિચન્દ પુત્રાન રવિશંકર

— [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[22] [illegible]

[23] [illegible]

[24] [illegible] પુત્રી [illegible]
[illegible]

[25] [illegible]

[26] [illegible]

[27] [illegible]

[28] [illegible] પુત્રી [illegible]
[illegible]

[29] [illegible]
[illegible]

– [illegible]

[30] [illegible]

[31] [illegible]

[32] [illegible]

[33] [illegible]

[34] [illegible]

[35] [illegible]

[36] [illegible] પુત્ર [illegible]

[37] [illegible] પુત્રી [illegible]
[illegible]

– [illegible]

[illegible]
[illegible] 1955

Om
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[illegible] :–

[1] શ્રી [illegible]

[2] [illegible]

– ધન્યવાદ –

वादी ने साथ अभिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस बात पर आधार का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 301 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम तुर्कियाव तहसील कोटकासिम में जमाबन्दी सम्वत 2029 में मिन वादी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 के पिताजी व प्रतिवादी सं. 6 लगा. 28 के ससुर व दादाजी श्री मूला पुत्र पूरना जाति अहीर निवासी ग्राम गोठड़िया का 5/6 भाग खातेदारी कब्जा काश्त दर्ज है व 1/6 हिस्सा काशीराम पुत्र मंगतुराम के नाम खातेदारी कब्जा काश्त दर्ज है। मूला पुत्र पूरना फौत हो चुका है। जिसके वैधिक वारिसान नामजदा मिन वादी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 28 है। मूला पुत्र पुत्र पूरना के 10 वारिसान सुखदेई ~~पत्नी~~ मूला, मिन वादी मोहनलाल प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 व रोहताश, प्रहलाद, मिश्री, प्रभात, छोटेलाल हुए इस तरह विवादित आराजी में मूला के 5/6 हिस्से में से कुल 10 वारिसानों के प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हुआ। इसी प्रकार मूला के वारिसान काबिज काश्त है। प्रतिवादिया सं. 4 शांति ने विवादित आराजी में अपना 1/12 भाग व प्रतिवादिया सं. 5 सरबन ने अपना 1/12 भाग का हक त्याग (रिलीजडीड) मिन वादी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 28.5.2009 को कर दिया। अब इस तरह विवादित आराजी में मिन वादी का 1/12, 1/12, 1/ हिस्सा यानि कुल 3/12 हिस्सा हो गया। इस रिलीज डीड का इन्तकाल सं. 308 मिन वादी के पक्ष में स्वीकार हुआ। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसका अमल मिन वादी के नाम जमाबन्दी में नहीं हुआ। मूला की पत्नी सुखदेई यानि मिन वादी की माताजी का देहान्त हो गया। सुखदेई का विवादित आराजी में 1/12 भाग था। सुखदेई पत्नी मूला के वैधिक वारिसान मिन वादी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 28 हो गये। जिसका इन्तकाल सं. 508 मिन वादी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 28 के पक्ष में दर्ज वो स्वीकार किया गया। जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में आ गया। सुखदेई के फौत हो जाने पर सुखदेई का 1/12 हिस्सा मूला के उपरोक्त 9 वारिसानों में बट जाने से प्रत्येक वारिसानों को 1/108 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ। अब इस तरह वादी का हिस्सा 3/12 व 1/108 कुल 7/27 हिस्सा विवादित आराजी में हुआ और मिन वादी विवादित आराजी में अपने 7/27 हिस्से पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए मिन वादी विवादित आराजी में अपने आपको 7/27

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने का व इस कदर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का इन्द्राज अमलदरामद कराने का अधिकारी है किन्तु वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 1-5-17 को पटवारी हल्का के पास गया तब गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। तभी अनुसार [illegible] बिना देरी वाद दायर करना लाजिम आया। अतः वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कदर आदेश फरमाया जावे कि ग्राम ख.नं. 301/1-16 बीघा वाके ग्राम तुर्कवास तहसील कोटकासिम की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में दर्ज प्रविष्टियों को दुरुस्त कर उसकी जगह वादी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड तलवाना तामील किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद है। इसमें सरकार का कोई हित निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 37 पाबन्द सूचना उपस्थित नहीं हुआ जिस पर इनको दिनांक 11.12.17 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता ने वाद के दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कहा कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2029 में निजवादी व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 के पिताजी व प्रतिवादीगण सं. 6 लगा. 28 के ससुर व दादाजी श्री मुन्ना पुत्र पूरणा का 5/6 भाग व 1/6 हिस्सा कालूराम पुत्र गंगाराम के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। पूरणा फौत होने पर उसके जायज वारिसान 3 लगा. 28 है। मुन्ना पुत्र पूरणा के 10 वारिसान सुरजदेई पत्नि मुन्ना निज वादी मोहनलाल प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 व रोशनी, पहलाद, शिवदेई, प्रसाद, छोटेलाल हुए इस तरह विवादित आराजी में मुन्ना के 5/6 हिस्से में से कुल 10 वारिसानों को 1/12 हिस्सा हुआ जिस पर वे काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं. [illegible] व [illegible] को अपना हिस्सा [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] वादी के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सुखदेई के फौत हो जाने पर उनका 1/12 भाग उनके विधिक वारिसान में इन्तकाल दर्ज को स्वीकार किया गया। जबकि इस भूमि वादी का का हिस्सा 3/12 व 1/108 हिस्सा कुल 7/27 हिस्सा हुआ। भूमि पर भी वादी शांति पुत्री काबिज काश्त है। अतः इसी अनुसार ~~राजस्व~~ रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इन्तकाल सं. 308 जिसमें शांति, सरवन पुत्रीयान मुन्ना ने मोहनलाल पुत्र मुन्ना के पक्ष में हक त्याग किया है जिसकी इन्तकाल सं. 308 में प्रविष्टी दर्ज है। संवत 2029 में मुन्ना पुत्र पूरना 5/6 कालीराम पुत्र मंगतूराम 1/6 अहीर सा. जौडिया खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी संवत 2059-2062 में मु. सुखदेई बेवा होशियार, नरपाल पुत्र मु. गिन्दोडी, प्रकाश, रामरतन, छोटेलाल, मोहनलाल, जयराम पुत्रान भिखो, प्रमा, शांति, सरवन पुत्रीयान मुन्ना अहीर सा. जौडिया 5/6 हिस्सा कालीराम पुत्र मंगतू 1/6 हिस्सा कौम अहीर सा. जौडिया खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2063-2066 व जमाबन्दी सं. 2067-2070 में इसी अनुसार पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि शांति व सरवन ने मोहनलाल पुत्र मुन्ना के नाम हकत्याग रिलीजडीड की जिसका इन्तकाल सं. 308 दर्ज हुआ। लेकिन हाल जमाबन्दी में दोनों का हिस्सा दर्ज है। जो कम जमन किये जाने एवं वादी के हक में दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल ख.नं. 301/1-16 बीघा वाके ग्राम तुर्कियावास तहसील कोटकासिम की जमाबन्दी संवत 2071-2074 में दर्ज प्रविष्टी को हटाकर उसके स्थान पर वादी को 7/27 भाग, प्रतिवादी सं. 03 को 1/108 भाग, प्रतिवादी सं. 4 व 5 को 2/108 भाग, प्रतिवादी सं. 6 लगा. 9 को 13/108 भाग, प्रतिवादी सं. 10 लगा. 15 को 13/108 भाग, प्रतिवादी सं. 16 व 17 को 13/108 भाग, प्रतिवादी सं. 18 लगा. 24 को 13/108 भाग, प्रतिवादी सं. 25 लगायत 29 को 13/108 व प्रतिवादी सं. 30 लगा. 37 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधित

27/4/18 वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.4.18 में प्रतिवादी सं. 3 को 13/108 भाग, 6 को 13/108 भाग, 10 लगा. 15 को 13/108 भाग, 16 व 17 को 13/108 भाग, 18 लगा. 24 को 13/108 भाग 25 लगा. 28 को 13/108 भाग का आदेश जारी किया गया था। इसके स्थान पर सभी 13/108 भाग के स्थान पर 10/108 भाग पढ़ा जावे। (हस्ताक्षर)

संशोधित

10.5.18 वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 14 पर संजु लिखा है इसको स्थान पर संजु कुमार संशोधित किया जावे एवं प्रार्थी सं. 15 पर नीतू लिखा है इसको स्थान पर नीतू कुमारी निश्चित किया जावे। उसी अनुसार संशोधन किया जाता है। (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner